इंडिया फाउंडेशन फॉर द आर्ट्स

कला शिक्षा कार्यक्रम केअंतर्गत
कला-एकीकृत परियोजनाओं केलिए
भारत में सरकारी सहायता प्राप्त और गैर-लाभकारी स्कूल
से प्रस्ताव आमंत्रित करता है

अंतिम तिथि: शनिवार, 18 नवंबर 2023

India Foundation for the Arts (IFA) invites proposals from
Government-aided and Non-profit Schools in India
for **Arts-Integrated National School Projects** under the **Arts Education** programme

Deadline Extended to Saturday, November 18, 2023

Image: Kalkeri Sangeet Vidyalaya,
from an Arts Education National School Project implemented in 2022-2023

For more details, write to krishna@indiaifa.org or visit www.indiaifa.org

Arts-integrated National School Projects in Government-aided and Non-profit schools under the Arts Education programme are made possible with support from Cholamandalam Investment and Finance Company

Over 25 Years of Celebrating the Arts India Foundation for the Arts

इंडिया फाउंडेशन फॉर द आर्ट्स (आईएफए) कला शिक्षा के माध्यम से सीखने और सिखाने को मजबूत करने के लिए सम्पूर्ण भारत के गैर-महानगरीय क्षेत्रों में स्थित सरकारी सहायता प्राप्त और गैर-लाभकारी स्कूलों में कला-एकीकृत परियोजनाओं को लागू करना चाहता है।

आईएफए के कला शिक्षा कार्यक्रम काली-कलिसु (कन्नड़ में 'सीखें' और 'सिखाएं') का उद्देश्य पाठ्यक्रम-आधारित शिक्षण पद्धतियों के लिए विभिन्न कला रूपों का उपयोग करके स्कूलों में 'सीखने' को एक आकर्षक और आनंददायक अनुभव बनाना है।

इस विचार को ध्यान में रखते हुए, IFA सरकारी सहायता प्राप्त और गैर-लाभकारी स्कूलों से परियोजना प्रस्ताव आमंत्रित करता है, जिसका उद्देश्य कला-एकीकृत शिक्षण के लिए एक ठोस आधार तैयार करना और छात्रों के बीच जिज्ञासा और रचनात्मकता को प्रोत्साहित करना है।

पिछले वर्षों की हमारी कुछ परियोजनाओं के बारे में अधिक जानने के लिए (यहां) क्लिक करें:

परियोजनाओं का दायरा/उद्देश्या

ये परियोजनाएँ निम्नलिखित में से एक या अधिक उद्देश्यों को संबोधित कर सकती हैं:

- स्थानीय कला रूपों और सांस्कृतिक प्रथाओं को कक्षा में सीखने और सिखाने के साथ जोड़ें
- सभी विषयों के सीखने और सिखाने में कला प्रक्रियाओं को एकीकृत करें।
- कक्षा शिक्षण में छात्रों के जीवंत अनुभवों को शामिल करें
- स्थानीय कलाकारों और समुदाय के संसाधनों के साथ काम करें

अवधि: न्यूनतम एक वर्ष से अधिकतम एक वर्ष और छह माह।

बजट: अधिकतम 4,00,000/- रुपये (चार लाख रुपये) तक

अंतिम तिथि: शनिवार, 18 नवंबर 2023

कौन आवेदन कर सकता है

गैर-महानगरीय क्षेत्रों में स्थित सरकारी सहायता प्राप्त या गैर-लाभकारी स्कूल। संस्थान को स्थानीय भाषाओं के साथ काम करते हुए यह विश्वास होना चाहिए कि कला ओर संस्कृति सीखने और सिखाने का अभिन्न अंग हैं।

पात्रता:

- स्कूल का स्वामित्व/संचालन किसी ऐसे संस्थान द्वारा किया जाना चाहिए जो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860/भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 के तहत पंजीकृत हो।
- कम से कम तीन वर्ष से अस्तित्व में हो।
- कम से कम दो वर्षों के खातों का ऑडिट किया हुआ विवरण स्टैट्मेन्ट होना चाहिए।
- इसका एक परमानेन्ट अकाउंट नंबर (PANPAN) होना चाहिए।

आवेदन प्रक्रिया:

- आपके फाइनल प्रस्ताव में ये शामिल होना चाहिए:
  - परियोजना का शीर्षक
  - मिशन/विज़न/स्कूल का अवलोकन
  - छात्रों की सामाजिक-सांस्कृतिक पृष्ठभूमि
  - प्रस्तावित परियोजना के उद्देश्य
  - कार्यप्रणाली और विस्तृत कार्य योजना
  - रिसोर्स व्यक्तियों का विवरण जो परियोजना का हिस्सा होंगे
  - परियोजना के मूल्यांकन की प्रक्रिया
  - परियोजना के अपेक्षित परिणाम
  - बजट का विस्तृत ब्यौरा

सपोर्टिंग डॉक्युमेंट्स में शामिल होना चाहिए:

- ट्रस्ट डीड/मेमोरंडम ऑफ असोसीएशन की प्रति
- वर्तमान ट्रस्टियों/सदस्यों की सूची और प्रोफ़ाइल
- 12ए/सोसाइटी अधिनियम के तहत पंजीकरण की प्रति
- कम से कम पिछले दो वर्षों का ऑडिट रिपोर्ट व ऑडिटेड लेखा–जोखा की प्रतिलिपि
- संस्था के पैन की प्रति
- यदि कोई हो, पहले के या वर्तमान में चलित कला शिक्षा गतिविधियों का विवरण;

चयन प्रक्रिया: चयन किए गए प्रस्तावों का मूल्यांकन एक बाहरी पैनल द्वारा किया जाएगा और आवेदकों को अपने प्रोजेक्ट के विचारों को पैनल के सामने प्रस्तुत करना होगा। कार्यान्वयन के लिए चयनित परियोजनाओं की घोषणा फरवरी 2024 में की जाएगी। परियोजना चयन में आईएफए का निर्णय अंतिम होगा।

प्रोजेक्ट सबमिसन

- प्रस्ताव अंग्रेजी सहित क्रकसी भी भारतीय भाषा में जमा क्रकया जा सकता है
- अंतिम प्रस्ताव, शनिवार, **18 नवंबर 2023** को या उससे पहले krishna@indiaifa.org पर ईमेल द्वारा ऑनलाइन जमा क्रकया जाना चाहिए एवं फाइल का नाप सभी सहायक सामग्रियों के साथ 25 एमबी से अधिक नहीं होना चाहिए।

कृपया ध्यान दें कि अधूरे प्रस्तावों और ऐसे प्रस्तावों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा जहां आवेदक पात्रता मापदंडों के अंतर्गत नहीं आते हैं।

सभी चयनित परियोजनाएं आईएफए (IFA) द्वारा कार्यान्वित की जाएंगी।

कृपया ध्यान दें कि आईएफए एक सुरक्षित वातावरण बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जो बच्चों और युवाओं का समर्थन, सम्मान और सुरक्षा करता है। आवेदक को इसके अनुरूप होना चाहिए और इसे हर समय कायम रखना चाहिए।